



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240586
CG-DL-E-25112022-240586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758]
No. 758]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सं. 02/2022—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 849(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 15, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 96 और माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 8 अक्टूबर, 2018 की सा. का. नि. संख्या 1004 (अ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 14/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, सारणी के, क्रम सं. 2 के कॉलम (3) में, मद सं.(ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) श्री हरसुहिन्दर पाल सिंह बरार, अपर आयुक्त, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/35/2021-एसटी-I-डीओआर]

सुनील कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, तारीख 8 अक्टूबर, 2018 के सा. का. नि. सं. 1004(अ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी:-

- (i) तारीख 16 मई, 2019 के सा. का. नि. सं. 366 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 16 मई, 2019 की अधिसूचना सं. 03/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर ;
- (ii) तारीख 14 अक्टूबर, 2019 के सा. का. नि. सं. 781 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 14 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. 05/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर;
- (iii) तारीख 24 दिसंबर, 2019 के सा. का. नि. सं. 948 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 24 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 06/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर; तथा
- (iv) तारीख 21 मार्च, 2022 के सा. का. नि. सं. 214 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 21 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 01/2022-संघ राज्य क्षेत्र कर;

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2022

No. 02/2022-Union territory Tax

G.S.R. 849(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), section 96 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and rule 103 of the Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 14/2018-Union territory Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 1004 (E), dated the 8th October 2018, namely:-

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 2, in column (3), for item (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“(ii) Shri Harsuhinder Pal Singh Brar, Additional Commissioner, Excise and Taxation Department, Union territory of Chandigarh”.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-31011/35/2021-ST-I-DoR]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1004(E), dated the 8th October, 2018 and subsequently amended *vide* -

- (i) notification No. 03/2019-Union territory Tax, dated the 16th May, 2019, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 366(E), dated the 16th May, 2019;
- (ii) notification No. 05/2019-Union territory Tax, dated the 14th October, 2019, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 14th October, 2019;
- (iii) notification No. 06/2019-Union territory Tax, dated the 24th December, 2019, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 948(E), dated the 24th December, 2019; and
- (iv) notification No. 01/2022-Union territory Tax, dated the 21st March, 2022, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 214(E), dated the 21st March, 2022.